WITH ADDITIONAL CHARGE OF MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT) (KUMARI MAMTA BANERJEE): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Government regards such incidents with grave concern and considers the economic, social and cultural upliftment of women to be the basic requirement for preventing their exploitation. Towards this end the Government has been implementing several schemes for their economic empowerment, education and awareness generation. The Ministry of Home Affairs has alerted the immigration officials at the exit points to exercise more vigilance while scrutinising the travel documents of girls so as to note any false entry on their passports regarding their age etc.

Allocation of seats for various courses to Jammu and Kashmir

1716. SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to refer to the answer to Unstarred Question No. 324 given in the Rajya Sabha on the 10th July, 1992 and state what are the particulars/names of the Colleges/Universities to which 11, 15 and 15 Seats were allocated for Jammu and Kashmir in 1989-90, 1990-91 and 1991-92 respectively for Engineering and 26 seats for M.B.B.S. and 3 for B.D.S. were allocated in 1991-92?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): A statement showing allocation of seats in Engineering subjects for 1989-90, 1990-91 and 1991-92 and in Medical subjects for 1991-92 is enclosed. (*See* Appendix CLXIV, Annexure 31)

Setting up of silica limestone project in Himachal Pradesh

1717. DR. SANJAYA SINH: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether the N.M.D.C. propose to set up a low Silica Limestone Project in Himachal Pradesh; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SANTOSH MOHAN DEV): (a) Yes, Sir.

(b) National Mineral Development Corporation Ltd. (NMDC) proposes to develop a low silica limestone mine at Arki in Solan District of Himachal Pradesh with an annual capacity of 2 million tonnes of run of mine (ROM) ore. The company has been sanctioned mining lease over an area of around 238 hectares in Arki. Govt. have approved preparation of Detailed Project Report (DPR) for the project.

मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए भूमि का आरक्षण

1718. **श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार की सिफारिशों के आधार पर मध्य प्रदेश में पिछले कई वर्षों से कई हेक्टेयर खनिज-बहुल-भूमि को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आरक्षित करके रखा गया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इस भूमि को मुक्त करने की अनुमति प्रदान करेगी, क्योंकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने अभी तक इस भूमि को पट्टे पर दिये जाने के लिए नहीं कहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिये जाने की संभावना है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) मध्य प्रदेश में चूना-पत्थर, डोलोमाइट, मैंग्नीज तथा बाक्साइट भंडारों वाले बहुत बड़े भू-क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विदोहन के लिए आरक्षित किया गया है ।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में 35 गांवों, छिन्दवाड़ा जिले में 3 गांवों सतना जिले में 182 गांवों तथा बिलासपुर जिले में 67 गांवों में चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैंग्नीज वाले क्षेत्रों का आरक्षण समाप्त करने की सहमति दे दी है ।

अनुसूची-1 से खनिजों का निकाला जाना

1719. **श्री कैलाश नारायण सारंग** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय खनिज नीति के अंतर्गत आने वाले खनिजों के अतिरिक्त अन्य खनिजों को अनुसूची-1 से निकालने का विचार रखती है ;

(ख) चूना-पत्थर, डोलोमाइट, बाक्साइट, जैसे खनिजों को, जो कि बहुतायत में पाये जाते हैं, अनुसूची-1 में रखने का क्या प्रयोजन है ;

(ग) क्या इन खनिजों के खनन के लिए रियायतें प्रदान करने से पहले केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेना जरूरी है और

(घ) क्या सरकार इन खनिजों के पट्टे पर खनन के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने की शर्त को हटाने पर विचार करेगी ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची में दर्ज खनिजों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टे मंजूर करने के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति लेनी होती है । इससे पूरे देश में महत्वपूर्ण खनिजों का योजनाबद्ध और क्रमबद्ध विदोहन सुनिश्चित होता है । इस अनुसूची से कुछ खनिजों को हटाने के प्रश्न पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है ।

हिमाचल प्रदेश में खानों और खनिजों का सर्वेक्षण

1720. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के किन-किन स्थानों पर किन-किन तारीखों को किन-किन खनिजों की खानों का सर्वेक्षण कार्य किया गया था और इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ख) हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की गड्सा घाटी में नरौल नामक स्थान पर तांबे की खान से संबंधित सर्वेक्षण कार्य कब से चल रहा है ;

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान इस पर कितनी धनराशि खर्च हुई और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस पर कितनी राशि खर्च किये जाने का अनुमान है ; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और इस संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हिमाचल प्रदेश में किए गए सर्वेक्षण के फलस्वरूप, 1989-90 में कुल्लू जिले में गरशा घाटी में तांबा; 1990-91 में सिरमौर जिले में अनियार अम्बोता में सीसा व जस्ता; 1990 में कुल्लू जिले में उचिच में चांदी और सीसे के भंडार; 1959-60 में बारासीगड़ी जिला लाहौल-स्पीति में एन्टीमनी अयस्क भंडार ; 1988-91 में किन्नौर जिले में पुरबानी क्षेत्र में टिन-टंगस्टन; 1985-86 में बिलासपुर और उना जिलों के घुमारविन क्षेत्र में स्वर्ण का पता लगाया गया है ।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 1965-87 में किए गए पहले के सर्वेक्षण से, सिरमौर, शिमला, बिलासपुर, कांगड़ा जिलों में 956.35 मि० टन चूना-पत्थर (सभी